

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त 14 शाखाएं सम्मिलित निरीक्षण विश्वविद्यालय के काम में ही किए जावे व के निरीक्षण एवं परीक्षाओं का काम हो।  
सम्बन्धित विषय 74 वारे हुए हैं पर व्यवहार हुआ ही जो पर सम्बन्धित एवं निरीक्षण माध्यम विद्या जावे निम्नलिखित अविधि हो।



संकाय : कुलसचिव  
दूरभाष : (0751) 2442055  
(0751) 2442020  
फैक्स : (0751) 2442788

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर  
प्रसन्निकांक/सम्बद्धता/2012/ 5898

दिनांक: 21/01/13

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अंश कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर(0751-2432020) को सत्र 2011-12 के निचे प्रस्तावित/संचालित बी.एड., पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु गानुशंशाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थानी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. राणीव जैन, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
- (2) प्रो. रेणु शीवास्त्रव, प्राचार्य, बोस्टन कॉलेज, ग्वालियर।
- (3) डॉ. आर.जी. गर्ग, उपाचार्य, पुरतकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वार्षिक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉक, प्राथमिक संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण पत्र, भवन, इलेक्ट्रिकल एवं पाठ्यक्रम/आडिनिन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉक की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अर्पित करें।

स्थानी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पर क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर निचे गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।


गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्थात् जमा कराकर वगैरह समिति गठित की जायेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के आज सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबन्धित महाविद्यालय की ओर भेजकर जायह है कि समिति के संयोजक से संघर्ष स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)